प्रेषक

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य / समन्वयक / कार्य प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 855 **/ नि0प्रा0शि0 / आउ0कर्मि0पारि0 / 2018–19 दिनांक,** 07/8/ **2018**

विषय :– **राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में दैनिक वेतन / संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि कतिपय संस्थाओं के प्रधानाचार्यों / कार्य0 प्रधानाचार्यों / समन्वयकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में दैनिक वेतन / संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के मानदेय / पारिश्रमिक भुगतान करने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्तमान में लागू नियमावली तथा शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी संस्था में दैनिक वेतन / संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के मानदेय / पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–111 / XXX(2) / 2018–30(12) / 2018, दिनांक 27.04.2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आर0पी0गुप्ता)
अपर निदेशक
कृते निदेशक
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा।